2024/10 21

प्रकरण सं. 2025/47/9 राम लाल उनवान कफी

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/7/25	श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय / विविध / 2025 / 42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] अधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53,86,89,92क,183 1[illegible] सवाईपुर की पत्रावलिया अंतरित होकर वास्ते सुनवा[illegible] को वास्ते सुनवाई तलख किया जाकर कार्यवा[illegible] उक्त पत्रावलियों का सम्बक रूप [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 216 (3) में [illegible] समस्त पत्रावलियो में त्वरित न्याय प्रदान [illegible] कोर्ट दिनांक 2/7/25 स्थान आकोला पेश हुई [illegible]त / अनुपस्थित पत्रावली ~~वास्ते सुनवाई~~ वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की आदेशिका पर Not Pres अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय करने रच्चलास सुनाया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 2/7/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	Not Pres